

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 220435
गा0वि09(न्याय)142/2014

पटना, दिनांक 12/02/15

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद ।

विषय:- SGRY/NFFW योजना में अवशेष खाद्यान के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-214725 दिनांक-02.01.2015


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक 214725 दिनांक - 02.01.2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में वर्णित विषय से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध Software पर प्रतिवेदन अपलोड कर दिया जाय। परन्तु आपके जिले से जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है वह त्रुटिपूर्ण है साथ ही उसमें एक रूपता नहीं है। प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट होता कि कुछ प्रखंडों से संबंधित प्रतिवेदन को स्कैन करके भेज दिया गया है। जबकि इसे exell sheet में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निदेश दिया गया था।

विदित हो कि संदर्भित मामले की सुनवाई आज दिनांक-11.02.2015 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा की गयी। प्रतिवेदन पूर्ण नहीं रहने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा खेद व्यक्त किया गया ।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । ताकि माननीय उच्च न्यायालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा सके । यदि विभागीय साइट पर अपलोड करने में कोई कठिनाई हो तो संबंधित को विभाग के आई0 टी0 मैनेजर के मो0 संख्या 9471007147 पर संपर्क करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन


(प्रमोद कुमार बिहारी)
विशेष सचिव ।

पत्रांक 220435
गा0वि09(न्याय)142/2014

पटना, दिनांक 12/02/15

प्रतिलिपि - उप विकास आयुक्त, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष सचिव ।